भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 430*

23 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: चाय उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य

***430. डॉ॰ मोहम्मद जावेदः**

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की बिहार के चायउत्पादकों विशेषकर किशनगंज ज़िले को न्यूनतमसमर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान करने की कोईयोजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) बिहार के विशेषकर पूर्णिया तथाकिशनगंज जिलों हेतु आवंटित धनराशि कितनी है;और

(ग) क्या सरकार की छोटे चाय उत्पादकोंकी सहायता करने और निजी चाय उत्पादकनिर्माणियों द्वारा उनके शोषण को रोकने हेतुसरकारी चाय निर्माणी के पुनरुद्धार की कोई योजनाहै?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'चाय उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य' के संबंध में दिनांक 23.07.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 430 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) जी, नहीं। चाय के लिए कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नहीं है। परंपरानुसार चावल, गेहूं, गन्ना आदि जैसी कृषि फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित किया जाता है, जो नाशवान नहीं है और भंडारण करने में आसान हैं। दूसरी तरफ, चाय पत्तियां बहुत अधिक नाशवान बगीचा फसल है और इनका भंडाण असंभव है क्योंकि भंडारण से इनकी गुणवत्ताखराब होती है। चाय उत्पादकों, विशेषकर छोटे चाय उत्पादकों, के लिए उचित मूल्य प्राप्तिसुनिश्चित करने हेतु, चाय बोर्ड ने वर्ष 2004 में मूल्य साझाकरण फार्मूला (पीएसएफ) शुरु किया था जिसमें हरी पत्ती और तैयार चाय के उत्पादन लागत के आधार पर उत्पादक और निर्माता के बीच कतिपय अनुपात में बिक्री से प्राप्त राशि को उचित रूप से साझा करने की परिकल्पना थी। इसके अतिरिक्त, पीएसएफ का उपयुक्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, चाय बोर्ड किशनगंज सहित प्रत्येक चाय उत्पादक जिले के लिए प्रत्येक महीने के शुरु में न्यूनतम बेंचमार्क मूल्य (एमबीपी) भी अधिसूचित करता है।

(ख) चाय बोर्ड चाय विकास और संवर्धन योजना के अधीन अवरोपण और पुन:रोपण, पुनरूद्धार, छंटाई, सिंचाई, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सहायता, फील्ड मशीनीकरण, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को सहायता, एसएचजी और एफपीओ के लिए वार्षिक पुरस्कार, एफपीओ द्वारा नई फैक्ट्रियों की स्थापना, मिनी फैक्ट्रियों की स्थापना, कार्यशाला/प्रशिक्षण, जैविक खेती/जैविक संरक्षण का विकास और संवर्धन, आदि के लिए बिहार के पूर्णिया और किशनगंज जिलों सहित, देश में चाय उद्योग को वित्तीय सहायता देता है। चाय बोर्ड ने बिहार (किशनगंज जिला) के छोटे चाय उत्पादकोंको पिछले पांच वर्षों (2014-15 से 2018-19) में 4.45 लाख रूपए की राशि दी है।

(ग) चाय बोर्ड ने यह सूचना दी है कि किशनगंज जिले में 'डीआरडीए चाय फैक्ट्री'के नाम से केवल एक चाय फैक्ट्री है जो बिहार सरकार की है। इस सरकारी फैक्ट्री की स्थापना वर्ष 2004 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अधीन कालिदास किस्मत, पोठिया प्रखंड, किशनगंज में की गई थी और यह अभी कार्यरत है। अभी इस कंपनी का संचालन मेसर्स संचेती टी कंपनी द्वारा किया जा रहा है जो कि एक मालिकाना फर्म है जिसने डीआरडीए, किशनगंज, बिहार सरकार से वर्ष 2015 से 10 वर्षों के लिए इसे पट्टे पर लिया है।

*****